International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

भारतीय संविधान में राज्यसभा के प्रदत्त अधिकार तथा दायित्व

कुँवर भास्कर परिहार

एम.ए. राजनीति विज्ञान

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

राज्यसभा के प्रदत्त अधिकार

विधायी अधिकार

लोकसभा के साथ–साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों को किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद–108 के अनुसार, किसी साधारण विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जायेगा और विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

संविधान संशोधन का अधिकार

संविधान संशोधन के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जायेगा, जबकि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग–अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाये।

संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनो सदनों में असहमति होने पर संविधान का प्रस्ताव गिर जायेगा। संविधान संशोधन के प्रसंग में राज्यसभा की शक्ति का परिचय इस बात से मिलता है कि 45वां संविधान संशोधन विधेयक उसी रूप में पारित हुआ, जिस रूप में राज्यसभा चाहती थी। वर्ष 1989 में 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में दो–तिहाई बहुमत प्राप्त न होने के कारण समाप्त हो गये थे।

वित्तीय मामलों में राज्यसभा

धन विधेयक केवल लोकसभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है। इसके उस सभा द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त इसे राज्यसभा को उसकी सहमति अथवा सिफाारिश के लिए परिषित किया जाता है। ऐसे विधेयकों की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उसे लोकसभा को लौटाना पड़ता है।

यदि यह उस अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है, तो विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जायेगा। जिसमें इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकती; यह केवल संशोधनों की सिफाारिश कर सकती है और लोकसभा, राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी।

धन विधेयक के अलावा, वित्त विधेयकों की कतिपय अन्य श्रेणियों को भी राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। तथापि, कुछ अन्य प्रकार के वित्त विधेयक हैं, जिनके सम्बन्ध में राज्यसभा की शक्तियों पर कोई निर्बन्धन नहीं है। ये विधेयक किसी भी सभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं और राज्यसभा को ऐसे वित्त विधेयकों को किसी अन्य विधेयक की तरह ही अस्वीकृत या संशोधिक करने का अधिकार है। वस्तुतः ऐसे विधेयक संसद की किसी भी सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किये जा सकते, जब तक राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने के लिए उस सभा से सिफारिश नहीं की हो।

तथापि, इन सारी बातों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि राज्यसभा का वित्त सम्बन्धी मामलों से कुछ भी लेना–देना नहीं है। भारत सकरार के बजट को प्रतिवर्ष राज्यसभा विभिन्न मन्त्रालयों की अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करती। यह मामला अनन्य रूप से लोकसभा के लिए सुरक्षित है फिर भी, भारत की संचित निधि से किसी धन की निकासी तब तक नहीं की जा सकती, जब तक दोनों सभाओं द्वारा विनियोग विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता। इसी प्रकार, वित्त विधेयक को भी राज्यसभा के समक्ष लाया जाता है। इसके अलावा, विभाग–सम्बन्धित संसदीय स्थायी समितियां, जो मन्त्रालयों/विभागों की वार्षिक अनुदान मांगों की जांच करती हैं, संयुक्त समितियां हैं जिनमें दस सदस्य राज्यसभा से होते हैं।

कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार

संसदात्मक शासन व्यवस्था में मन्त्रिपरिषद, संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी हेाता है। अतः भारत में भी मन्त्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परन्तु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मन्त्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है।

विशेष अधिकार

अनुच्छेद–249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिये जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए पारित किया जायेगा, किन्तु उसका पालन बढ़ाया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद–312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे सकता है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकता है।

संविधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की स्थिति में अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियम अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में राज्यसभा के पास इस सम्बन्ध में विशेष शक्तियां हैं।

यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है, जब लोकसभा का विघटन हो गया है अथवा लोकसभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा अनुछच्ेद–352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।

राज्यसभा का दायित्व एवं महत्व

राज्यसभा, संसदीय व्यवस्था में लोकसभा की भांति ही उपयोगी एवं लाभदायक रहा है। इसने अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है। राज्यसभा संविधान संशोधन के विषय पर लोकसभा के साथ सहयोगात्मक रूप दिखाती है। अनुच्छेद–249 एवं अनुच्छेछ–312 के तहत प्रदत्त अधिकारों को अमल में लाना राज्यसभा का एक प्रमुख दायित्व है। यह संसद को सुचारू रूप से चलाने में मददगार रही है। राज्यसभा का महत्व इस सम्बन्ध में भी है कि इसमें से मन्त्रियों की नियुक्तियां भी की जाती हैं।

वर्ष 1966 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त हुईं, उस समय वे राज्यसभा की ही सदस्य थीं। वर्ष 1996 में प्रधानमन्त्री बनने के बाद एचडी देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य बने थे। जब वर्ष 1997 में इन्द्र कुमार गुजराल का प्रधानमन्त्री पद पर मनोनयन हुआ, तो वे राज्यसभा के ही सदस्य

थें इसके अलावा दो बार प्रधानमन्त्री, मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। इस परम्परा से भी राज्यसभा के महत्व का आभास होता है। कि केन्द्रीय मंत्री प्रायः राज्यसभा में उपस्थित रहते हैं और विचार–विमर्श तथा वाद–विवाद में भाग लेते हैं। इस प्रकार राज्यसभा सरकारी नीतियों तथा कार्यों पर प्रभाव डालने में समर्थ है और व्यवहार में अनेक बार इसनें शासन की नीतियों तथा कार्यों को प्रभावित किया है।

लोकसभा के साथ सम्बन्ध

संविधान के अनुच्छेद–75 (3) के अधीन, मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ज़िम्मेदार होती है जिसका आशय यह है कि राज्यसभा सरकार को बना या गिरा नहीं सकती है। तथापि, यह सरकार पर नियन्त्रण रख सकती है और यह कार्य विशेष रूप से उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सरकार को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है।

किसी सामान्य विधान की दशा में, दोनों सभाओं के बीच गतिरोध दूर करने के लिए, संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का उपबन्ध है। वस्तुतः, अतीत में ऐसे तीन अवसर आये हैं जब संसद की सभाओं की उनके उठाये जाने वाले मुद्दों का निर्णय दोनों सभाओं में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से किया जाता है।

संयुक्त बैठक संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

तथापि, धन विधेयक की दशा में, संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई उपबन्ध नहीं है, क्योंकि लोकसभा को वित्तीय मामलों में राज्यसभा की तुलना में प्रमुखता हासिल है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा, संविधान के अनुच्छेद–368 के अधीन विहित रूप में, विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना होता है। अतः, संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सभाओं के बीच गतिरोध को दूर करने का कोई उपबन्ध नहीं है।

मंत्री संसद की किसी भी सभा से हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में संविधान सभाओं के बीच कोई भेद नहीं करता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह उसी सभा में मत देने का हकदार होता है जिसका वह सदस्य होता है।

इसी प्रकर, संसद की सभाओं, उनके सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के सम्बन्ध में, दोनों सभाओं को संविधान द्वारा बिल्कुल समान धरातल पर रखा गया है। जिन अन्य महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त है, वे इस प्रकार हैं–

- राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महाभियोग
- उप–राष्ट्रपति का निर्वाचन
- आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन
- राज्यों में संवैधानिक तन्त्र की विफलता से सम्बन्धित उद्घोषणा और वित्तीय आपातकाल विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों आदि से प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में, दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मन्त्रिपरिषद की सामूकिह जिम्मेदारी के मामले और कुछ ऐसे वित्तीय मामले, जो सिर्फ लोकसभा के क्षेत्राधिकार में आते हैं, के सिवाए दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं।

राज्यसभा का मूल्यांकन

राज्यसभा की स्थिति पर्याप्त विवाद का विषय रही है। राज्यसभा के अस्तित्व की दो प्रकार से आलोचना की जाती है। प्रथम, रचना के सम्बन्ध में तथा दूसरा, शक्ति के सम्बन्ध में। रचना सम्बन्धी आलोचना में यह कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन का गठन संघात्मक अर्थात् राज्यों की समानता के सिद्धान्त के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में अमेरिका की सीनेट या ऑस्ट्रेलिया संघ के द्वितीय सदन के समान संघात्मकता के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है।

शक्ति सम्बन्धी आलोचना में यह कहा जाता है कि सही रूप में राज्यसभा की स्थिति यह है कि यह साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में 6 महीने तथा वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में 14 दिन की देरी लगा सकती है यह मन्त्रिमण्डल को नाममात्र के लिए प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इसे मन्त्रिपरिषद को पद्च्युत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

इन सबके बावजूद राज्यसभा के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह न तो अमेरिकी सीनेट की भांति अत्यधिक शक्तिशाली है और न ब्रिटिश लॉर्ड सभा या फ्रांस के चतुर्थ गणतन्त्र की गणतन्त्रीय परिषद की भांति अत्यधिक दुर्बल। यदि राज्यसभा 'देवताओं का सदन' नहीं बन पाई तो दूसरी ओर इसने अपने आपको 'दुष्टों और प्रतिक्रियावादियों का सदन' भी नहीं बनने दिया है। इस प्रकार राज्ससभा का महत्व और औचित्य पूर्णतया स्पष्ट है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

References

Pylee, M.V. (1997). India's Constitution. S. Chand & Co. p. 3.

"Introduction to Constitution of India". Ministry of Law and Justice of India. 29 July 2008. Retrieved 14 October 2008

Baruah, Aparijita (2007). Preamble of the Constitution of India: An Insight and Comparison with Other Constitutions. New Delhi: Deep & Deep. p. 177. ISBN 81-7629-996-0. Retrieved 12 November 2015.

Baruah, Aparajita (2007). Preamble of the Constitution of India : An Insight & Comparison. Eastern Book Co. ISBN 978-81-7629-996-1

Pylee, M.V. (2004). Constitutional Government in India. S. Chand & Co. ISBN 81-219-2203-8.

Sen, Sarbani (2007). The Constitution of India: Popular Sovereignty and Democratic Transformations. Oxford University Press.

M Laxmikanth. "3". Indian Polity (4th ed.). McGraw Hill Education. p. 3.2.

Krishnakumar, R. "Article 356 should be abolished'". Frontline (Vol. 15 :: No. 14 :: 4–17 July 1998)

Krishnamurthi, Vivek (2009). "Colonial Cousins: Explaining India and Canada's Unwritten Constitutional Principles" (PDF). Yale Journal of International Law. 34 (1): 219. Archived from the original (PDF) on 2016-03-04.

Dhamija, Dr. Ashok (2007). Need to Amend a Constitution and Doctrine of Basic Features. Wadhwa and Company. p. 568.

Jacobsohn, Gary J. (2010). Constitutional Identity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. p. 52.

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

Bhattacharyya, Bishwajit. "Supreme Court Shows Govt Its LoC". the day after (1–15 Nov 2015).

Sorabjee, Soli J. (1 November 2015). "A step in the Wrong Direction". The Week. Retrieved 12 November 2015.

Raghavan, Vikram (2010). "The biographer of the Indian constitution". Seminar. Retrieved 13 November 2015

H. R. Khanna. Making of India's Constitution. Eastern Book Co, Lucknow, 1981